

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ

दिनांक : 23 नवम्बर, 2015


विषय:-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सा अधिकारियों की अन्यत्र ड्यूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उ०प्र० राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सा अधिकारी प्रायः मा० न्यायालय में साक्ष्य, पोस्टमार्टम एवं अन्य ड्यूटी बताकर चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) से अन्यत्र चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त केन्द्रों पर इलाज हेतु आने वाले मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी विशेष परिस्थितियों में ही अन्यत्र लगायी जाय। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों की मा० न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने की दशा में अथवा अन्यत्र ड्यूटी लगाये जाने की स्थिति में उक्त केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिससे कि इलाज हेतु आने वाले मरीजों को कोई असुविधा न हो।

भवदीय,



(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं०-3550 (1)/सेक-2-पांच-15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 4- गार्डबुक।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ

दिनांक : 23 नवम्बर, 2015

विषय:-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सा अधिकारियों की अन्यत्र ड्यूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उ०प्र० राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सा अधिकारी प्रायः मा० न्यायालय में साक्ष्य, पोस्टमार्टम एवं अन्य ड्यूटी बताकर चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) से अन्यत्र चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त केन्द्रों पर इलाज हेतु आने वाले मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी विशेष परिस्थितियों में ही अन्यत्र लगायी जाय। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों की मा० न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने की दशा में अथवा अन्यत्र ड्यूटी लगाये जाने की स्थिति में उक्त केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिससे कि इलाज हेतु आने वाले मरीजों को कोई असुविधा न हो।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं०-3850 (1)/सेक-2-पांच-15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान समा मार्ग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 5- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।